

24-11-17

वकील पक्षाद्वारा उपस्थित। - चूंकि मूल
निगरानी सुधारण आज निर्मित हो चुका
है ऐसी स्थिति में, यह स्वयंभू आर्चना-
पत्र कि व पुत्रावली न होने से खारिज किने
जाने योग्य है अतः आर्ची का आर्चनापत्र
खारिज किया जाता है निर्णय सुनाया
गया। पुत्रावली के लिये शुभारंभ होकर नम्बर
से प्रकृत हो।

मति. वि. वि. वि. वि.
सिरोही (स.स.)